

GEMS

2020/00017  
07/01/2021

अज्ञ अदालत तहसीलदार / नायब तहसीलदार सिणधरी तहसील सिणधरी

राजस्थान सरकार जरिये पटवारी

बनाम

श्री. देश भूषण

हलका निबलकोट

पुत्र श्री गंभीर जाति मुलत्याग

निवासी- राउचा

किस्म मुकदमा धारा 91 राज. भू राजस्व अधिनियम 1956 मु.नं. 17 / वर्ष 2020

तारीख हुकम	हुकम या कार्यवाहीमय इनिशियलस जज	हुकम और तारीख तामिल की
10-7-2020	पटवारी हलका निबलकोट ने रिपोर्ट पेश कर सूचित किया कि उक्त अप्रार्थी ने संवत् 2077 में मौजा निबलकोट के खसरा नंबर 177 रकबा 120 कर्षट्ट किस्म भूमि 2/1/1/1 पर नाजायज अतिक्रमण कर काश्त व कब्जा किया है, अतः राजस्थान भू राजस्व अधिनियम 1956 की धारा 91 के तहत मामला दर्ज रजिस्टर किया जाकर गैरसायल को जरिये नोटिस तलव किया जावे। पत्रावली दिनांक 29-7-2020 को वमुकाम सिणधरी में पेश हों।  तहसीलदार सिणधरी जिला-बाड़मेर	
29-7-2020	पत्रावली आठ पेश हुई। गैर सायल व पटवारी हलका उपस्थित। गैर सायल ने जावाक पेश किया जो शामिल पत्रावली किया। गैर सायल के एक अवतर दिया जाकर पत्रावली दिनांक 13-8-2020 को पेश हो।  तहसीलदार सिणधरी जिला-बाड़मेर	दीन जा प. निबलकोट

13-8-2020

पत्रावली भाग पेश हुई। गैर सामान्य  
अनुपास्थि। पटवारी हल्का अनुपास्थि।  
पत्रावली दिनांक 26-8-2020 को पेश है।

तहसीलदार मिणधरी  
जिला-बाड़मेर

26-8-2020

पत्रावली भाग पेश हुई। गैर सामान्य  
अनुपास्थि। पटवारी हल्का अनुपास्थि।  
गैर सामान्य को अतिक्रम कोषि करते  
हुए पत्रावली फैसल सुमार है।  
निर्णय अलग से किया जाकर शामिल  
पत्रावली है। निर्णय सुले-प्राप्तालय के  
सुनाया गया। पत्रावली फैसल सुमार  
हैकर दायित्व दफतर है।

तहसीलदार मिणधरी  
जिला-बाड़मेर

प. निम्बलकीर